



शिक्षा
विभाग

(समादेश बरतते)
राज्य शिक्षण मंडळ, कोलकाता

निदेश देण्यात येत आहे की, खालीलप्रमाणे कार्य करावे।
27/12/19

कृपया लक्षात घ्या।

पर रवीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित
अपीलेशन आदेश दिनांक 14 जनवरी 2019 अपारत किया जाता है और
प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाउड किया जाता
है कि अपीलेशन सहित सभी प्रकरणों को पूर्ण: सुनवाई का अवसर
प्रदान किया जाए और अधीनस्थ न्यायालय को सूचित किया जाए कि
अपीलेशन का विवरण: निरंतरण किया जावे। प्रकरणों
अधीन कार्यालयी देव अधीनस्थ न्यायालय के साथ दिनांक
16 मार्च 2020